

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 14.08.2026

गैंग बनाकर अवैध रूप से अस्पताल का संचालन कर अपराध से अर्जित धन द्वारा क्रय किये गये ट्रक कीमती लगभग 18 लाख रुपये को जब्त किया गया

संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगेस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष रामगढ़ताल नेतृत्व में श्रीमान् जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0342/2025 धारा 2(ख)(i)(xi)(xxv)/3(1)उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 से सम्बंधित अभियुक्त नितिन यादव उर्फ सोनू पुत्र शेषनाथ यादव सा0 म0नं0-38 ग्राम व पोस्ट रियावं थाना गगहा जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति ट्रक को थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। जब्त की गयी संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपये है।

अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त नितिन यादव उर्फ सोनू पुत्र शेषनाथ यादव सा0 म0नं0-38 ग्राम व पोस्ट रियावं थाना गगहा जनपद गोरखपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 342/2025 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
- 2.मु0अ0सं0 99/2024 धारा 417,420,386,188,342,336,406,120 बी भादवि थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
- 3.मु0अ0सं0 0319/2019 धारा 489,420 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर।

जब्त/कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

ट्रक (Ashok Layland) कीमत लगभग 18 लाख रुपये

कार्यवाही में शामिल टीम-

1. निरीक्षक श्यामा नन्द राय प्रभारी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. नि0 मनीष कुमार पाण्डेय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 मनोज कुमार प्रजापति थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 अनिल कुमार थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. रि0का0 रितेश यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
6. रि0का0 शैलेन्द्र यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर